



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 16.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 02 मामलों में कुल 02 अभियुक्तों को अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 02 मामलों में कुल 02 अभियुक्तों को 3500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0(एनसीआर) -36/18 धारा 504/506 भादवि के अभियुक्त कौशल पुत्र शिवसागर निवासी चकरेही थाना कमासिन जनपद बांदा को कुल 1500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना पैलानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0(एनसीआर)- 118/17 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त अम्बरीश पुत्र लाखन निवासी ग्राम लसडा थाना पैलानी जनपद बांदा को कुल 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।